प्रेस विज्ञाप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय
दिनांक–10.10.2023 (सं0–334)

अफीम को अवैध खेती के विरुद्ध कार्रवाई

राज्य के गया जिला अन्तर्गत बाराचट्टी एवं धनगई क्षेत्र मुख्य रूप से अफीम की अवैध खेती से प्रभावित है। बिहार एवं झारखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती की जाती है। अफीम की अवैध खेती अगस्त–सितम्बर में प्रारम्भ की जाती है तथा फसल अक्टूबर–नवम्बर माह में तैयार होने लगती है। विनष्टीकरण की कार्रवाई नवम्बर से मार्च माह तक की जाती है। प्रत्येक वर्ष केन्द्र एवं राज्य की एजेन्सियों द्वारा अफीम की अवैध खेती का विनष्टीकरण किया जाता है। फसल वर्ष **2022–23** में **1289** एकड़ में अफीम की अवैध खेती का विनष्टीकरण किया गया है। विगत तीन फसल वर्षों में अफीम की अवैध खेती के विरुद्ध की गई कार्रवाई।

Crop Year	**2020-2021**	**2021-2022**	**2022-2023**
No of Cases Registered	16	40	33
Total No. of accused of illicit opium / Ganja cultivation	108	236	121
Total No. of arrested accused of illicit opium / Ganja cultivation	15	29	3
Destruction of illicit Opium/ Ganja cultivation	OPIUM-Approx 584-30 Acres Cannabis-02 Acres	OPIUM-Approx 620-59 Acres	OPIUM-Approx 1289-60 Acres Cannabis-0.10 Acres

- एन0सी0बी0 द्वारा प्राप्त कराये गये Satellite Imageries की सहायता से अफीम की अवैध खेती के सम्भावित स्थलों की पहचान एवं सत्यापन कर स्थानीय प्रशासन के द्वारा अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया जाता है। फसल वर्ष **2022–23** में एन0सी0बी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये Satellite Imageries के आधार पर **287** एकड़ अफीम की अवैध खेती का विनष्टीकरण किया गया है।
- अफीम की अवैध खेती मुख्यतः गया जिले के बाराचट्टी एवं धनगई क्षेत्रों में की जाती है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अफीम विनष्टीकरण की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन के द्वारा पैरा मिलिट्री फोर्स तथा वन विभाग से समन्वय स्थापित कर जे0सी0बी0, ट्रैक्टर, बुसकटर आदि मशीनरी का प्रयोग कर की जाती है।
- अफीम की अवैध खेती के सम्भावित क्षेत्रों की पहचान एवं सत्यापन हेतु इस फसल वर्ष **2022–23** में ड्रोन की मदद से स्थानीय प्रशासन के द्वारा नियमित निगरानी रखते हुए अफीम की अवैध खेती का विनष्टीकरण किया गया।

- फसल वर्ष 2023–24 में अफीम की अवैध खेती पर सतत निगरानी एवं विनष्टीकरण हेतु ड्रोन की खरीदगी हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- अवैध अफीम की खेती में संलिप्त किसानों के बीच स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाता है साथ ही किसानों को आजीविका हेतु लेमनग्रास, मधुमक्खी पालन, सहजन आदि की खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण नक्सलियों की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता है परन्तु अब तक नक्सलियों द्वारा अफीम की अवैध खेती किये जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया है, इस पर निगरानी रखी जा रही है।
- दिनांक 04.10.2023 को डी0जी0, एन0सी0बी0 की अध्यक्षता में अफीम की अवैध खेती के विनष्टीकरण के सम्बन्ध में बैठक की गयी। बैठक में प्रभावित जिलों में ADRIN के द्वारा उपलब्ध कराये Satellite Imageries के आधार पर कार्रवाई करने पर बल दिया गया है।
- दिनांक 09.10.2023 को गृह सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अफीम की अवैध खेती के विनष्टीकरण पर विशेष बल दिया गया है। उक्त बैठक में नये तरीके के अपराध शैली और तस्करी के रास्तों पर भी विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया है, तदनुसार बिहार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
- मादक पदार्थों तथा नशीली दवाओं के तस्करी के दृष्टिकोण से सीमावर्ती क्षेत्र विशेषकर भारत–नेपाल एवं पश्चिम बंगाल–झारखण्ड सीमा अति सम्वेदनशील है। इन क्षेत्रों में आसूचना तंत्र को मजबूत कर सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।

XXXX